भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *377

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट

*377. श्री जी. कुमार नायकः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट' द्वारा फर्जी खबरों की पहचान करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए क्या मानदंड और कार्यप्रणाली अपनाई गई है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां तथ्य जांच के कारण सोशल मीडिया से किसी सामग्री को हटाया गया है;

(ग) क्या सरकार एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथ्य जांच निकाय बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट' के द्वारा किए जाने वाले भेदभावपूर्ण प्रवर्तन को रोकने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं/लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गई शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *377 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): नवंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार से संबंधित फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाना है।

लोग भारत सरकार से संबंधित मामलों पर प्रसारित समाचार/सूचना के बारे में अपनी शिकायतें/तथ्य जांच अनुरोध व्हाट्सएप हॉटलाइन- +918799711259 और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की वेबसाइट - https://factcheck.pib.gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं।

पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट रिपोर्ट की गई खबर/सामग्री के सत्यापन के लिए चार-चरणीय मॉडल का अनुसरण करती है, जो निम्नानुसार है:
(1) खोजना : पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट तथ्य जांच पर स्वतः संज्ञान लेती है और साथ ही अपनी वेबसाइट या व्हाट्सएप हॉटलाइन पर शिकायतें प्राप्त करती है।
(2) आकलन : यूनिट यह पता लगाने के बाद प्राप्त सूचना को अलग करती है कि क्या यह फैक्ट चेक यूनिट के दायरे में आती है। विभिन्न तथ्य जांच टूल्स का उपयोग करके संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है और केवल सरकारी वेबसाइटों, नोटिस, परिपत्रों, दस्तावेजों और ई-गजट पर उपलब्ध प्रामाणिक सरकारी ओपन-सोर्स सूचना के माध्यम से इनका सत्यापन किया जाता है।
(3) सृजन करना : अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचना की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसार के लिए उपयुक्त रचनात्मक सामग्री के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यनीति का उपयोग करती है।
(4) लक्ष्य : एफसीयू अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जांच किए गए तथ्य और सही सूचना पोस्ट करती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एफसीयू द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल प्राप्त शिकायतें	कार्रवाई योग्य शिकायतों की कुल संख्या	अभिज्ञात फर्जी खबरों की संख्या
2022	25,626	8,107	338
2023	20,684	6,623	557
2024	21,404	6,320	583
2025 (19 मार्च 2025 तक)	5,200	1,811	97

****